ग्राम पंचायत स्थाना, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हि• प्र• के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग—एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत स्थाना, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा हि० प्र० के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :—

प्रधानः—

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री मनोहर लाल	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :—

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री राजेश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :—

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री कृष्ण कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री हरदीप सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत स्थाना के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.58
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	17.84
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.61
4	6.2, 6.3	सम्पत्ति कर, विवाह पंजीकरण शुल्क से प्राप्त आय को अंकेक्षणापत्ति उपरान्त बैंक में जमा करवाना	0.05
5	6.4	विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे	0.12
6	7.1	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.44
7	7.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	1.56
8	7.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना एवं अंकेक्षणापत्ति उपरान्त वसूली कर राशि को सभा निधि में जमा करवाना	0.34
9	8.1, 8.2	बिल/वाउचर इत्यादि अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	13.34
10	9	निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु अनियमित भुगतान करना	1.83
11	10	आमंत्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा दर की तुलना में अधिक दर से अधिक भुगतान की अंकेक्षणापत्ति उपरान्त वसूली करना।	0.03

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत स्थाना के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.06.2024 से 24.06.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्वः स्त्रोत व अनुदानों की हस्तगत रोकड़ बहियों व ऑनलाईन (15वां वित) के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	03/2023	01/2023
2023—24	03/2024	08/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :— वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का. /2024/267 दिनांक 24.06.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा

अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थाना के मल्टीसिटी चैक संख्या 065226 दिनांक 26.06.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क) वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2024/250 दिनांकः–14.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	252405.00	109688.00	362093.00	96677.00	265416.00
2023-24	265416.00	75715.00	341131.00	132985.00	208146.00

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2267911.68	7668282.00	9936193.68	7166221.00	2769972.68
2023-24	2769972.68	3593672.00	6363644.68	4579148.00	1784496.68

कुल योग (1+2) 208146.00 +1784496.68= **1992642.68**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत व ऑनलाईन रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से ₹19,92,642.68 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट–3 व 3.1**" के अनुसार अन्तशेष ₹19,48,471.68 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•बैंक स्थाना	50051128735	207973.00
2	तीसरी वित/पी.आर. आई	का•के•सह•बैंक स्थाना	20071000145	24156.68

3	वी.के.वी..एन.वाई	का•के•सह•बैंक स्थाना	50051243282	5960.00
4	पी.एस	का•के•सह•बैंक स्थाना	50051126715	36058.00
5	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक स्थाना	50052415912	1985.00
6	15वाँ वित्तायोग / पी. एस / जेड.पी	का•के•सह•बैंक स्थाना	50071806174	1672166.00
	हस्तगत शेष			173
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹19,48,471.68
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹19,92,642.68
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹19,48,471.68
अन्तरः–				₹44171

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणीः–

पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष	₹**1948471.68**
घटाव :–1.15वां वितायोग, खाता संख्या –50071806174 में दिनांक 29.02.2024 को बैंक द्वारा ब्याज जमा किया गया परन्तु रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2024 तक जमा नहीं किया गया **₹14298**	14298
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 को संशोधित अन्तशेष	**₹1934173.68**
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा–4) के अनुसार अन्तशेष	**₹1992642.68**
वास्तविक अंतर	**58469**

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातो के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.58 लाख लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत स्थाना द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत व ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि

₹58469/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था, जो संस्था की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/251 दिनांकः–15.06.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–क्रमांक/जी0पी0स्थाना/2024–25:06 दिनांकः–24.06.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके अंकेक्षण को अवगत करवायें तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

5.1 अनुदान राशि ₹17.84 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/250 दिनांकः–14.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹17,84,496.68 की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	तीसरा वित	31.03.2024	82625.68
2	वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी	31.03.2024	5960.00

3	पी.एस	31.03.2024	36058.00
4	एम.पी.लेड	31.03.2024	1985.00
5	15वाँ वित्तायोग	31.03.2024	1657868.00
		कुल जोड	**1784496.68**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/253 दिनांक–18.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–क्रमांक/जी0पी0स्थाना/2024–25:06 दिनांक–24.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अतः भविष्य में नियमो के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.61 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/250 दिनांकः—14.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर की मद में **₹61040**/— की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/254 दिनांकः—18.06.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— क्रमांक/जी0पी0स्थाना/2024—25:06 दिनांकः—24.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है तथा वसूली उपरान्त निधि में जमा करवा

दिया जायेगा व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 सम्पति कर/गृहकर से प्राप्त आय ₹3460 को बैंक मे जमा न करवाने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बन्धित बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत स्थाना की सम्पति कर की रसीद बुकों के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹3460 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में कम जमा करवाये गये थेः–

क्र0सं0	मास	रसीद संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	प्राप्त आय	बैंक में जमा	कम जमा
1	03/23	188570 से 188600	78	1940	14800	680
2	03/23	188601 से 188700	78	5170		
3	03/23	188701 से 188800	78	8370		
4	03/23	189186 से 189200	80	1410	7510	1380
5	03/23	188201 से 188220	80	7480		
6	03/24	188281 से 188300	92	2150	14080	1070
7	03/24	188301 से 188400	92	5540		
8	03/24	0507101से0507130	92	2020		
9	03/24	507001 से 507100	92	5440		
9	03/24	507429,30,31,36,37	93	930	600	330
			जोड	**40450**	**36990**	**3460**

यह न केवल गम्भीर अनियमितता है, अपितु आपतिजनक भी है। इससे पंचायत स्वः स्त्रोतो की आय के दुर्विनियोजन की समभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त राशि को बैंक में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा

विभाग/अ0वृ0कां/2023/258 दिनांकः–19.06.2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत स्थाना के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 0507456 द्वारा करने उपरान्त सभा निधि खाता संख्या 50051128735 में दिनांक 24.06.2024 को जमा करवा दिया गया है। जिसकी अंकेक्षण में पुष्टि कर ली गई है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

6.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹1400/- की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनो के बाद 90 दिनो के भीतर ₹400(सामान्य) से व ₹50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना के अनुसार 07 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200/400 की दर से कोई राशि नहीं वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹1400 वसूल किये जाने अपेक्षित थे।

उक्त कम वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/254 दिनांकः–18.06.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत स्थाना के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 0507455 द्वारा करने उपरान्त दिनांकः–26.06.2024 को खाता संख्या 50051128735 में जमा करवा दिया गया है। जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

6.4 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹0.12 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं विभाग अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है, जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका व संलगन **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ग्राम पंचायत स्थाना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1.	2022–23	5000
2	2023–24	7000
	जोड़	**12000**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/254 दिनांकः–18.06.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत स्थाना के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– क्रमांक/जी0पी0स्थाना/2024–25:06 दिनांक 24.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी तथा अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी

कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.44 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत स्थाना के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—"7"** में दिए गए विवरणानुसार ₹44636/— का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा दृष्टांत मामलों में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/262 दिनांकः—21.06.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— क्रमाक/जी0पी0स्थाना/2024—25:06 दिनांक 24.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही सामान का क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये तदानुसार इसको सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹1.56 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भण्डार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत स्थाना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"7"** पर संकलित राशि ₹156032/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। लेखांकन प्रक्रिया में इन कमियों के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/263 दिनांकः–21.06.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– क्रमांक/जी0पी0स्थाना/2024–25:06 दिनांकः24.06.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि स्टॉक में इन्द्राज करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत क्रय किये गये प्रत्येक सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.34 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–''8''** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹34062/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/259 दिनांकः–20.06.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 0507458 द्वारा करने उपरान्त दिनांकः–26.06.2024 को सभा निधि खाता संख्या 50051128735 में जमा करवा दिया गया है, जिसकी अंकेक्षण में पुष्टि कर ली गई है।

अतः उक्त वसूली गई राशि को हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries,102-Mineral Concession Fees and Royalties,81-Other receipts" आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 राशि ₹5.44 लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 01/2023 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार **₹544439**/—का भुगतान दर्शाया गया था, जिसके बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है। यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है।

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल स./दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि की गई राशि (₹)
1.	मनरेगा	120 से 123/11. 01.2023	00001/20.12.2022	निर्माण कार्य अपवर्धन शमशानघाट गांव बेली	188469.3
2.	मनरेगा	124 से 127/11. 01.2023	0001/20.12.2022	निर्माण कार्य अपवर्धन शमशानघाट गांव बेली	188469.3
3.	मनरेगा	128/11.01.2023	001/20.12.2022	निर्माण कार्य अपवर्धन शमशानघाट गांव बेली	75387.72
4.	मनरेगा	129 से 131/11. 01.2023	002/20.12.2022	निर्माण कार्य अपवर्धन शमशानघाट गांव बेली	87952.34
5.	मनरेगा	निल/10.01.2023	02/12.12.2022	निर्माण कार्य अपवर्धन एंबुलेन्स रोड,लिंक रोड मोहल्ला चौधरी रेडू वार्ड.1	4160
				कुल योग	**544438.66**

उक्त बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/261 दिनांकः—20.06.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— कंमाक/जी0पी0स्थाना/2024—25:06 दिनांक 24.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिल/वाउचरों को आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त सभी बिल/वाउचर दिखाए जाने सुनिश्चित किये जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके संबंधित शीर्ष खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इस मामले की विभागीय स्तर पर पड़ताल करवाई जाए जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हो तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए।

8.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित थे।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो 01/2023 व 08/2023 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार **₹**789181/–का भुगतान किया गया था, परन्तु उक्त निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

क.स. व अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मास	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख
1.मनरेगा	75/19.01.23	01/2023	निर्माण कार्य अपवर्धन एम्बुलेन्स रास्ता सुरक्षा कार्य वार्ड–9	23108	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,कार्य आदेश, टेंडर अभिलेख ,तुलनात्मक विवरण ,अनुबन्ध ,अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका
2.मनरेगा	112/10.01.2023	01/2023	निर्माण कार्य अपवर्धन एम्बुलेन्स रोड कार्य लिक रोड मोहल्ला चौधरी रेडू वार्ड–1	77395	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,कार्य आदेश, टेंडर अभिलेख ,तुलनात्मक विवरण ,अनुबन्ध ,अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका

3.मनरेगा	71,72 / 10.01. 2023	01 / 2023	निर्माण कार्य पूर्ण करने एम्बुलेन्स रोड रास्ता लिंक रोड से मोहल्ला रेडू वार्ड 1 छब्बर	115403	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,कार्य आदेश, टेंडर अभिलेख ,तुलनात्मक विवरण ,अनुबन्ध ,अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका
4.मनरेगा	49 / 02.08. 2023	08 / 2023	निर्माण कार्य अपवर्धन शमशानघाट गांव बेली,स्थाना	40959	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,कार्य आदेश, टेंडर अभिलेख ,तुलनात्मक विवरण ,अनुबन्ध ,अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका
5.मनरेगा	51–62 / 02. 08.2023	08 / 2023	निर्माण कार्य सार्वजनिक पंचवटी पार्क कार्य गांव बानथ वार्ड–9	532316	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,कार्य आदेश, टेंडर अभिलेख ,तुलनात्मक विवरण ,अनुबन्ध ,अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका
			कुल योग	**789181**	

वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत स्थाना से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 264 दिनांकः–21.06.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्याः– क्रमांक / जी0पी0स्थाना / 2024–25:06 दिनांक 24.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अभिलेखो को आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः सचिव द्वारा अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 15वें वित्त आयोग से राशि ₹0.78 लाख का भुगतान मूल बिल पर न करके प्रोफार्मा बिल पर करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किये गये प्रत्येक व्यय को समुचित वाउचर से समर्थित किया जाना अपेक्षित है।

चयनित माह 01/2023 के वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 103 से 108 दिनांक 10.01.2023, मै0 हि0प्र0 उर्जा विभाग काँगड़ा धर्मशाला (सिद्धपुर) को उनके बिल संख्या 1072 द्वारा 6 सोलर लाईटें 13070 प्रति सोलरलाईट खरीदने हेतु किये गये भुगतान ₹78420/— के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता का उचित आपूर्ति बिल उपलब्ध नहीं था। इस मामले में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा, जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, में ही आपूर्तिकर्ता की रसीद दर्शाई गई है। आपूर्तिकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है।यह एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/260 दिनांक:—20.06.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत स्थाना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा पत्र संख्या:— क्रमाक/जी0पी0स्थाना/2024—25:06 दिनांक:— 24.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि 15वे वित से राशि ₹0.78 लाख का भुगतान मूल बिल पर न करके प्रोफार्मा बिल पर ही किया गया है। उक्त से संबंधित मूल बिल को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकरण तथा इसके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा उच्च विभागीय स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹1.83 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः—

सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के अंतर्गत निम्नविवरणानुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया गया था तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधानानुसार It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction. दिशा–निर्देशों की अनुपालना के संदर्भ में निर्माण कार्यों हेतु कार्यवाही अमल में लाई गई थी। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं / दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि(₹)
1	MNREGA	71/10.01.23	01/2023	80mm(Paver Block) from M/s Satyam Cement Sansarpur Terrace Kotla Bill No.138 dt.-02.02.2023	5858	103687
2	MNREGA	73/10.01.23	01/2023	80mm(Paver Block) from M/s Satyam Cement Sansarpur Terrace Kotla Bill No.139 dt.-03.02.2023	4460	78942
					योग	**182629**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/265 दिनांकः–21.06.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा पत्र संख्याः–क्रमांक/जी0पी0स्थाना/2024–25:06 दिनांक 24.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है तथा इस व्यय को सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित करवा लिया जाएगा तथा अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें।

10 आमंत्रित निविदाओं में अनुमोदित निविदा दर की तुलना में अधिक दर से ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान की वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान से निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया थाः–

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.मनरेगा	54/02.08.2023	मै. शिव स्टील डैम रोड़ तलवाडा	वायर मेस	14294.52 (134.600kg @106.2)	15485.73 (134.600kg @115.05)	1191.21
2.मनरेगा	55/02.08.2023	मै. शिव स्टील डैम रोड़ तलवाडा	वायर मेस	14294.52 (134.600kg @106.2)	15485.73 (134.600kg @115.05)	1191.21
3.मनरेगा	56/02.08.2023	मै. शिव स्टील डैम रोड़ तलवाडा	वायर मेस	14294.52 (134.600kg @106.2)	15485.73 (134.600kg @115.05)	1191.21
					जोड	**3573.63**

उपरोक्त बिल/वाउचरों की आंमत्रित निविदाओं में अनुमोदित निविदा दर से भुगतान न करके अधिक दर से **₹**3574/– का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/266 दिनांकः 24/06/2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 0507457 द्वारा करने उपरान्त दिनांक 26.06.2024 को खाता संख्या 50051128735 में जमा करवा दिया गया है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाये जायें।

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "7.3 व 9" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च्व तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

3. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4. ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/266 दिनांकः 24.06.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत स्थाना को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– कंमाक/जी0पी0स्थाना/2024–25:06 दिनांक 24.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/250 दिनांकः 14.06.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्याः–क्रमांक/जी0पी0स्थाना/2024–25:06 दिनांकः 24.06.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का

पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, लेखांकन प्रक्रिया में अपूर्णता/त्रुटियों के चलते किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	……..	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
10	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	……..	…………

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/250 दिनांकः–14.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– क्रमांक/जी0पी0स्थाना/2024–25:06 दिनांकः– 24.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

14.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत स्थाना द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत स्थाना के चयनित मास व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे, फलस्वरूप कृत व्यय ग्राम पंचायत के अनुमोदन के बिना किये गये प्रतीत होते हैं एवं पारदर्शिता के अभाव को दर्शाते हैं।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 **लघु आपति विवरणिकाः—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः—** लेखों के रख—रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय—2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

18 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/प्रति

4651 — 4655

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)420/2024—खण्ड—1 दिनॉंक, शिमला—09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत स्थाना, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/प्रति

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP SATHANA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	252405.00	109688.00	362093.00	96677.00	265416.00
2023-24	265416.00	75715.00	341131.00	132985.00	208146.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2267911.68	7668282.00	9936193.68	7166221.00	2769972.68
2023-24	2769972.68	3593672.00	6363644.68	4579148.00	1784496.68

पचायत सचिव 21/12/...
ग्राम पंचायत ...
... फतेहपुर कांगड़ा (हि० प्र०)

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या -5.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP SATHANA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	3RD STATE	2022-23	70037.68	391122.00	461159.68	365334.00	95825.68
		2023-24	95825.68	441510.00	537335.68	454710.00	82625.68
2	VKVNY/SDP	2022-23	815.00	213396.00	214211.00	124714.00	89497.00
		2023-24	89497.00	41513.00	131010.00	125050.00	5960.00
3	PS	2022-23	93031.00	6449.00	99480.00	64475.00	35005.00
		2023-24	35005.00	1053.00	36058.00	0.00	36058.00
4	MPLAD	2022-23	1872.00	53.00	1925.00	0.00	1925.00
		2023-24	1925.00	60.00	1985.00	0.00	1985.00
5	15TH FC/ZP/PS	2022-23	2102156.00	2488496.00	4590652.00	2042932.00	2547720.00
		2023-24	2547720.00	420714.00	2968434.00	1310566.00	1657868.00
6	MNREGA	2022-23	0.00	4568766.00	4568766.00	4568766.00	0.00
		2023-24	0.00	2688822.00	2688822.00	2688822.00	0.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सथाना
वि० ख० फतेहपुर कांगड़ा (हि० प्र०)

87

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या 4.1(ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत स्थाना विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176025

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत स्थाना के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•बैंक स्थाना	50051128735	252405.00	207973.00
2	तीसरी वित/पी.आर.आई	का•के•सह•बैंक स्थाना	20071000145	70037.68	24156.68
3	वी.के.वी..एन.वाई	का•के•सह•बैंक स्थाना	50051243282	815.00	5960.00
4	पी.एस	का•के•सह•बैंक स्थाना	50051126715	93031.00	36058.00
5	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक स्थाना	50052415912	1872.00	1985.00
6	15वाँ वित्तायोग/पी.एस/जेड.पी	का•के•सह•बैंक स्थाना	50071806174	2102156.00	1672166.00
	हस्तगत (हस्तगत रोकड.बही के अनुसार)			317	173
			कुल जोड.	**2520633.68**	**1948471.68**

ग्राम पंचायत स्थाना
वि० ख० फतेहपुर कांगड़ा (हि० प्र०)

28

परिशिष्ट–" 3.1" (पैरा संख्या - 4.1 (ख)

ग्राम पँचायत स्थाना विकास खण्ड फतेहपुर की दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी (पैरा सख्या– "4" के सन्दर्भ में)

बैंक समाधान विवरणी

क्र	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•बैंक स्थाना	50051128735	207973.00
2	तीसरी वित / पी.आर.आई	का•के•सह•बैंक स्थाना	20071000145	24156.68
3	वी.के.वी..एन.वाई	का•के•सह•बैंक स्थाना	50051243282	5960.00
4	पी.एस	का•के•सह•बैंक स्थाना	50051126715	36058.00
5	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक स्थाना	50052415912	1985.00
6	15वाँवित्तायोग / पी.एस / जेड.पी	का•के•सह•बैंक स्थाना	50071806174	1672166.00
7	हस्तगत शेष			173
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः				₹1948471.68
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–				₹1992642.68
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष				₹1948471.68
अन्तरः–				44171

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणीः–

पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	₹1948471.68
घटाव :–1.15वां वितायोग, खाता संख्या –50071806174 में दिनांक 29.02.2024 को बैंक द्वारा ब्याज जमा किया गया परन्तु रोकड.बही में दिनांक 31.03.2024 तक जमा नहीं किया गया **₹14298**	14298
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 को संशोधित अन्तशेष	₹1934173.68
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तषेष	₹1992642.68
वास्तविक अंतर	**58469**

ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत स्थाना
वि० ख० फतेहपुर बाराबंकी

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या "8.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत स्थाना विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176025

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 1120 तथा 2023–24 में 1126 परिवारों का रु 30/50/100/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	39520	1120	30,50,100	57980	97500	47150	50350
2023–24	50350	1126	30,50,100	59040	109390	48350	61040
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹61040**/– है।						

सचिव
ग्राम पंचायत स्थाना
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

30

परिशिष्ट-5 (पैरा संख्या - "6.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत स्थाना, विकास खण्ड फतेहपुर, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176025

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष विवाह शुल्क

क्र० सं०	नाम	विवाह शुल्क रजि0पृ0स0	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	अनिल कुमार	निल	12.05.2022	17.05.2022	200	0	200
2	मुनीश शर्मा	निल	08.07.2022	25.07.2022	200	0	200
3	राकेश कुमार	निल	05.08.2022	16.08.2022	200	0	200
4	साहिल कुमार	निल	05.08.2022	16.08.2022	200	0	200
5	गुरविन्द्र सिंह	188220	12.03.2023	10.05.2022	400	200	200
6	अतुल शर्मा	05	12.05.2023	15.05.2023	200	0	200
7	विजय कुमार	13	07.03.2024	11.03.2024	200	0	200
				कुल	₹ 1,600.00	₹ 200.00	₹ 1,400.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत स्थाना
वि० ख० फतेहपुर कांगड़ा (हि० प्र०)

31

परिशिष्ट - 6 (पैरा संख्या - "6.4")

हिमाचल प्रदेश
पंचायती राज विभाग
ग्राम पंचायत स्थाना विकास खण्ड फतेहपुर

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 2022-23 व 2023-24 में विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि निम्न विवरणानुसार प्राप्त की गई:-

अवधि	प्राप्त राशि
2022-23	5000
2023-24	7000
कुल राशि	**12000**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत स्थाना
विकास खण्ड फतेहपुर

परिशिष्ट - 7 (पैरा संख्या - 7.1 व 7.2)

ग्राम पंचायत स्थाना विकास खण्ड फतेहपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश, स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.VKVNY/SDP	10/23.01.23	Brick	1515/01.02.23	M/S Ganesh Bricks Co. Jakhara	4100	8.003	32812.3	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.ZP	103-108/10.01.23	Solar Lights	1072/17.01.23	M/S HP Govt Energy Dept.Agency Kangra(Sidhpur)	6	13070	78420	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
3.15TH FC	114/23.01.23	4" PVC Pipe	1004/01.02.2023	M/S Supreme Agro Industries Hajipur	64	325	20800	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4.15TH FC	121/23.01.23	Iron Chamber	205/30.12.22	M/S Om Shiv Industry Jakhbar	7	1000	7000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
5.15TH FC	126/23.01.23	Cement Board with Writing	929/22.01.23	M/S Malkiat Singh Sathana	1	2000	2000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
6.15TH FC	127/23.01.23	Iron Chamber	Nil/22.01.23	M/S Om Shiv Industry Jakhbar	4	1000	4000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
7.15TH FC	132/23.01.23	Cement Board with Writing	928/22.01.23	M/S Malkiat Singh Sathana	1	2000	2000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
8.15TH FC	133/23.01.23	Iron Chamber	210/22.01.23	M/S Om Shiv Industry Jakhbar	5	1000	5000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
9.NREGA	99/23.01.23	Cement Board with Writing	36/30.08.22	M/S Malkiat Singh Sathana	1	2000	2000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
10.NREGA	111/10.01.23	Cement Board with Writing	35/30.08.22	M/S Malkiat Singh Sathana	1	2000	2000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
11.NREGA	72/10.01.23	Inter.L.Tiles Carriage	Nil/11.01.23	M/s Satyam Cement Sansarpur Terrace Jaswan Kotla	5858	2	11716	एक निविदा प्रस्तुत की गई
12.NREGA	73/10.01.23	Inter.L.Tiles Carriage	Nil/11.01.23	M/s Satyam Cement Sansarpur Terrace Jaswan Kotla	4460	2	8920	एक निविदा प्रस्तुत की गई
							176668.3	

नोट:- 1. क्रम संख्या 4 से 12 तक की औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही सामान क्रय किया गया।
2. क्रम संख्या 1 से 10 तक की स्टॉक प्रविष्टियां का इन्द्राज नहीं किया गया।

परिशिष्ट - 8 (पैरा संख्या - 4.3")

ग्राम पंचायत स्थाना खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि								
Name of Supplier	**Vr. No. & Date**	**Bill No. & Date**	**Name of Item**	**Qty. (cum)**	**Determining Fator**	**Qty. (in MT.)**	**Royality (Per MT.)**	**Due Royality**
15TH FC,MNREGA								
M/s Bal Krishan Sathana	110/23.01.23	118/27.01.23	Sand	2.000	1.62	3.240	80	259.20
			Bajri	4.000	1.52	6.080	80	486.40
do	117/23.01.23	121/27.01.23	Sand	3.000	1.62	4.860	80	388.80
			Bajri	6.000	1.52	9.120	80	729.60
do	123/23.01.23	119/27.01.23	Sand	3.000	1.62	4.860	80	388.80
			Bajri	6.000	1.52	9.120	80	729.60
do	129/23.01.23	120/27.01.2023	Sand	3.000	1.62	4.860	80	388.80
			Bajri	6.000	1.52	9.120	80	729.60
do	112/10.01.23	128/02.03.2023	Sand	7.640	1.62	12.377	80	990.14
			Bajri	39.000	1.52	59.280	80	4742.40
do	20/23.08.23	151/30.08.2023	Sand	11.000	1.62	17.820	80	1425.60
			Bajri	6.000	1.52	9.120	80	729.60
do	25/23.08.23	153/30.08.23	Sand	9.000	1.62	14.580	80	1166.40
			Bajri	3.000	1.52	4.560	80	364.80
do	29/23.08.23	152/30.08.23	Sand	5.000	1.62	8.100	80	648.00
			Bajri	4.000	1.52	6.080	80	486.40
do	59/02.08.2023	149/03.08.23	Sand	15.000	1.62	24.300	80	1944.00
			Bajri	18.000	1.52	27.360	80	2188.80
			Solling	6.000	2.24	13.440	80	1075.20
do	60/02.08.23	150/03.08.23	Bajri	6.000	1.52	9.120	80	729.60
			Solling	2.000	2.24	4.480	80	358.40
do	58/02.08.23	148/03.08.23	Sand	17.000	1.62	27.540	80	2203.20
			Bajri	16.000	1.52	24.320	80	1945.60
			Solling	12.000	2.24	26.880	80	2150.40
							Total	**27249.34**
							25% Penalty	**6812.34**
							G.Total	**34061.68**